कार्यालय
मण्डल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
पूर्व मध्य रेल, धनबाद।

अधिसूचना

विषयः– मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर धनबाद में स्टॉफ कैन्टीन के संचालन हेतु निविदा।

धनबाद कार्यालय के परिसर में अवस्थित "स्टॉफ कैन्टीन", कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों एवं आगन्तुकों के लिए परिचालित है। जो वर्तमान में रेलवे के अधीन संचालित किया जा रहा है।

इस कैन्टीन के संचालन के लिए कैन्टीन संचालन के अनुभवी एवं सक्षम ईकाईयों, जो रेल से इतर बाहरी पार्टी के रूप में संबोधित किये जायेगें, से समय–समय पर कर्मचारी कल्याण निधि समिति द्वारा निर्धारित एवं जारी शर्तो के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

पूर्व मध्य रेल के निम्न वर्णित वेबसाइट पर वस्तु के प्रस्तावित मूल्य का तालिका अपलोड है, उस उल्लेखित मूल्यतालिका में बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए कुछ बढ़ाया/घटाया जा सकता है जो कि किसी भी स्थिति में बाजार मुल्य से कम होगा। यदि मूल्य तालिका दर पर आप स्टॉफ कैन्टीन चलाना चाहते हैं, तो अपना विकल्प/प्रस्ताव अध्यक्ष, मंडल कर्मचारी कल्याण निधि समिति–सह–वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी, पूर्व मध्य रेल, धनबाद, पोस्ट + जिला –धनबाद, पिन– 826001 (झारखण्ड) के नाम दिनांक – 28.09.2020 को संध्या समय 17.00 बजे तक निबंधित डाक द्वारा भेज सकते हैं, इसके बाद प्राप्त आवेदन विचारणीय नहीं होगा।

अधिसूचना एवं निहित शर्त तथा अन्य विवरण धनबाद मंडल के वेबसाइड ( www.ecr.indianrailways.gov.in – Divisions – Dhanbad – Personnel – Welfare activities ) पर उपलब्ध है।

(त्रिलोक नाथ वर्मा)
सहायक कार्मिक अधिकारी–3
कृते–मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)

संख्याः ई.डब्लू/कल्याण/स्टॉफ कैन्टीन/धनबाद

दिनांक 19.08.2020

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य जनसंम्पर्क अधिकारी, पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर – कृपया उपरोक्त अधिसूचना स्थानीय तथा झारखण्ड राज्य मे प्रकाशित होने वाले प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में दिनांक 26.08.2020 के अन्दर प्रकाशन करने हेतु प्रेषित।
2. सी.ओ.बी/ईसीआरकेयू, मंडल सचिव/एस.सी.एस.टी. एवं ओबीसी एशोसियेशन/पूमरे/धनबाद।
3. सूचना पट्ट ।
4. कार्याधी (आई.टी. सेल) – वेवसाईड पर अधिसूचना, शर्त एवं मुल्यतालिका इत्यादि अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
पूर्व मध्य रेल, धनबाद

# स्टॉफ कैंटीन संचालन संबंधी नियम एवं शर्तें

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या सं.–E(W)/2002/CN-1/5 दिनांक –18.03.2003 द्वारा पूर्व मध्य रेल धनबाद को मंडल कर्मचारी कल्याण निधि समिति के तत्वाधान एवं प्रत्यक्ष नियंत्रण में बाहरी व्यक्ति द्वारा कैंटीन संचालन करने का निर्देश प्राप्त है।

तद्नुसार निम्नलिखित शर्तो के अधीन कैंटीन का संचालन किया जाना है। :–

1. प्रथम बाद अनुबंधित अवधि 01 (एक) वर्ष की होगी जिसमें अवधि विस्तार सेवा–गुणवत्ता के आधार पर कर्मचारी कल्याण निधि समिति की बैठक में लिया गया निर्णय अथवा अध्यक्ष मंडल कर्मचारी कल्याण निधि समिति सह वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी महोदय के विवेकानुसार दिया जायेगा।
2. आवेदक के पास सरकारी अथवा प्रतिष्ठित संस्थानों में कैंटीन चलाने का कम से कम दो वर्षो का अनुभव होना अनिवार्य है। जिसका प्रमाण पत्र संबंधित प्रतिष्ठान से जारी हुआ होना चाहिए ।
3. शर्तो के अधीन किये गये अनुबंध को 15 दिनों की पूर्व सूचना देकर समाप्त करने का अधिकार रेल प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा। संचालक को स्वेच्छा से संचालन छोड़ने के 6 (छः) माह पूर्व सूचना देनी होगी।
4. प्रतिवर्ष लाईसेंस शुल्क के मद में 1000/– (एक हजार रूपये ) मात्र निर्देशित विनिधान में जमा करना होगा, जिसे संचालन प्रारम्भ करने के 10 दिनों के भीतर जमा करना होगा। अगला शुल्क प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल (वित्तीय वर्ष की प्रथम तिथि) को जमा किया जायेगा। लाईसेंस शुल्क में परिवर्तन होने /इससे संबंधित दिशा निर्देश प्राप्त होने के आधार पर शुल्क बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
5. कैंटीन संचालन हेतु जमानत राशि (Security Money) के रूप में रू0 50,000/– (पचास हजार) मात्र ड्राफ्ट के माध्यम से संचालक द्वारा कर्मचारी कल्याण निधि/संचालन समिति के नाम निर्देशित खाते पर जमा करना होगा। यदि संचालक द्वारा संचालन हेतु अनुमति तिथि से 6 (छ) माह के भीतर कैंटीन संचालन का कार्य बंद किया जाता है तो जमा जमानत राशि रू0 50,000/–रू जब्त कर ली जायेगी ।
6. संचालन से संबंधित सभी प्रकार के लाइसेंस जो कैंटीन संचालन हेतु, झारखण्ड सरकार एवं रेलवे प्रशासन द्वारा निर्धारित है, प्राप्त कर कैंटीन परिसर में प्रदर्शित करने की जिम्मेवारी स्वयं संचालक की होगी। संचालन अवधि में न्यूनतम मजदूरी भूगतान अधिनियम, मजदूरी भूगतान अधिनियम, कान्ट्रैक्ट ऑफ लेबर एक्ट में निहित सभी प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य हेागा एवं अधिनियम में वर्णित सभी अद्यतन रजिस्टर कैंटीन में उपलब्ध रखने होगें। इसमें किसी भी कमी के लिए संचालक जिम्मेदार होगा।
7. फूड एडल्ट्रेशन एक्ट अथवा राज्य सरकार के किसी भी खाद्य आपूर्ति अधिनियम के अंर्तगत उत्पन्न होने वाले मामले में उसे निष्पादित कराने की जिम्मवारी कैंटीन संचालक की स्वयं होगी।
8. भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा उत्पन किसी भी बिक्री कर अथवा सेवा कर जो भी देय हो, जमा करने की जिम्मेवारी संचालक की स्वयं होगी।
9. संचालक द्वारा खाद्य एंव पेय सामग्री तैयार करने के लिए स्वीकृत किस्म (ब्राण्डेड) / मानक उत्पाद का तेल, घी, चाय, काफी, दूध, इत्यादि का प्रयोग अनिवार्य होगा।
10. संचालक कैंटीन में ग्राहकों के मांग के अनुसार चाय, कॉफी स्टैंडर्ड क्वालिटी से बने कप /थर्मोकोल अथवा मानक कप /ग्लास में आपूर्ति करेगा।
11. कैंटीन में खाद्य सामग्री में जहॉ चीनी का उपयोग होता है वहॉ चीनी के एवज में सैकरीन अथवा अन्य समान–अनउपयोगी वस्तु का उपयोग नहीं किया जायेगा।
12. संचालक को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ एवं ताजा (Clean & Fresh) खाद्य सामग्री आपूर्ति करनी होगी।

13. कैन्टीन में कार्यरत कर्मियों की उमर 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, जो राज्य सरकार द्वारा निर्देशित न्यूनतम मजदूरी कानून एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं अंतर्गत शासित होंगे। इन्हें वेतन इत्यादि का भूगतान बैंक द्वारा करना अनिवार्य होगा।
14. कैंटीन में कार्यरत सभी कर्मियों को वर्दी एवं परिचय पत्र जारी करना अनिवार्य होगा, जिसके साथ वे प्रतिदिन प्रदर्शित स्थिति में कार्य पर रहेंगे।
15. कार्यरत सभी कर्मियों का पूर्ण विवरण (Bio-Data) संचालक द्वारा रेल प्रशासन को जमा करना होगा तथा किसी भी परिवर्तन की सूचना रेल प्रशासन को देना अनिवार्य होगा।
16. कैंटीन में लगाये जाने वाले कर्मियों को इंगेज करने के पूर्व सिविल चिकित्सा पदाधिकारी से आरोग्यता (Fitness) प्रमाण पत्र प्राप्त कर रेल प्रशासन को मूल रूप से जमा करना होगा एवं समय – समय पर उनकी मेडिकल जॉच रेलवे नियमों के अनुसार करानी होगा।
17. कर्मियों का मेडिकल जॉच 3 (तीन) महीने पर एक बार आवधिक रूप से कराना होगा। मेडिकल जॉच की कार्यवाई संबद्ध कल्याण निरीक्षक द्वारा कराया जायेगा। जिसका खर्च संचालक द्वारा वहन किया जायेगा। इसमें विशेषतः संकामक बीमारी (टी.बी. इत्यादि) से ग्रसित नहीं होने का प्रमाण –पत्र प्रत्येक 03 (तीन) महीने पर प्राप्त कर जमा करना अनिवार्य होगा।
18. कैंटीन में कार्यरत कर्मियों के लिए मानक इस प्रकार निर्धारित हैः–
    a. प्रतिदिन स्वच्छ पोशाक पहनना अनिवार्य है।
    b. शारीरिक रूप से स्वच्छता मेन्टेन होना चाहिए।
    c. नाखून, दॉत एवं बाल स्वच्छ एवं मेन्टेन होना चाहिए।
    d. सिर पर जालीदार टोपी से बाल ढके होने चाहिए।
    e. पान , गुटका इत्यादि का प्रयोग सख्त रूप से मना है।
    f. परिचय पत्र (जो संचालक एंव कैंटीन से सम्बद्ध कल्याण निरीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी होगा) प्रदर्शित स्थिति में गले में रहेगा।
19. कैंटीन परिसर की साफ–सफाई की जिम्मेदारी स्वयं संचालक की होगी एवं प्रत्येक शनिवार को वृहद् रूप से मेडिकेटेड वाशिंग अनिवार्य होगी।
20. उपभोक्ताओं द्वारा की गयी विधिक परिवाद (Leagal Grieavances) की स्थिति में क्षतिपूर्ति कैंटीन संचालक एजेन्सी देने को बाध्य होगी।
21. रेल प्रशासन एवं कैंटीन कर्मचारी कल्याण निधि समिती द्वारा क्रमशः भवन, विद्युत, जल एवं सभी प्रकार के उपस्कर इत्यादि की सुविधा संचालन एजेंसी को प्रदान की जायेगी।
22. उपयोग किये जाने वाले बर्तन, क्रोकड़ी, फर्नीचर , फ्रिज, माईक्रोवेव, किट रोधी यंत्र इत्यादि सामान (जो मंडल कर्मचारी कल्याण निधि समिति द्वारा आपूर्ति किये जायेगें) की पावती रू0 100/– के नॉन ज्यूडिसियल स्टॉम्प पेपर पर संचालक द्वारा दी जायेगी।
23. आपूर्ति किये गये सभी सामग्रियों की सुरक्षा (ग्रारंटी/वारंटी अवधि में) आपूर्तिकर्ता एजेंसी से मेंटेनेंस कराने की जिम्मेदारी संचालक की होगी । सामग्रियों के क्षतिग्रस्त (टूट–फूट) होने पर क्षतिपूर्ति राशि, रेल प्रशासन के निर्देशानुसार संचालक को कर्मचारी कल्याण निधि में जमा करना होगा। गायब होने की स्थिति में वास्तविक मूल्य देना होगा।
24. रसोई गृह में केवल कार्माशेयल गैस कनेक्शन एवं सिलेण्डर प्रयोग करना अनिवार्य होगा । गैस कनेक्शन रेल प्रशासन की पहल पर संचालक को वितरक से दिलवाया जायेगा, जिस पर व्यय एवं आगे गैस मूल्य संचालक को वहन करना होगा।
25. कैंटीन में उपलब्ध खाद्य पदार्थों का मूल्य निर्धारण तथा उनकी गुणवत्ता एवं मूल्य की समीक्षा करने का अधिकार केवल मंडल कल्याण कर्मचारी निधि समिति/गठित उप समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

संचालक एजेंसी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं मात्रा का ध्यान रखेगी, जो किसी भी अवस्था में बाजार मूल्य से कम होगा।

26. मण्डल में आयोजित समारोह एवं बैठकों अथवा पी.एन.एम. इत्यादि के दौरान लंच/नास्ता की व्यवस्था संचालक एजेंसी को करना होगा, जिसका भुगतान रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित दर पर किया जायेगा।
27. मंडल में कैंटीन के माध्यम से विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जायेगा। जाँचोपरान्त गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर संचालक पर उचित आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा।
28. खाद्य सामग्रियों आपूर्ति कूपन के माध्यम से की जायेगी जो सामग्री आपूर्ति के पूर्व जारी करना होगा। कूपन का प्रबंध संचालक द्वारा किया जायेगा, जिस पर होने वाला व्यय संचालक स्वयं वहन करेगा। आपूर्ति किये जाने वाले सामान की कीमत वसूली की जिम्मेदारी भी स्वयं संचालक की होगी। देय किसी भी राशि की वसूली के लिए रेल प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।
29. कर्मचारियों द्वारा दूरभाष पर मांग करने पर उनके कार्यस्थल पर चाय/कॉफी/स्नेक्स/डेयरी प्रोडक्ट अथवा लंच की अवधि में खाना इत्यादि की आपूर्ति करनी होगी। संचालक समिति द्वारा निर्धारित समय पर प्रतिदिन कर्मचारियों के कार्यस्थल/कक्ष में चाय/कॉफी/स्नैक्स/डेयरी प्रोडक्ट की आपूर्ति अनिवार्य होगी।
30. शर्तों में संशोधन/नया जारी करने का अधिकार कर्मचारी कल्याण निधि समिति अथवा इसके अध्यक्ष (वमंकाधि महोदय) के पास अंतिम रूप से सुरक्षित रहेगा।

## वर्णित शर्तों के उल्लंघन पर निम्न प्रकार दंड का प्रावधान है:–

1. कैंटीन परिसर की साफ–सफाई में कमी, बेसिन/कुसी/टेबल गंदा रहने पर प्रत्येक बार एवं अलग–अलग मदों में प्रत्येक के लिए रू0 200/– मात्र।
2. सामग्रियों के माप के अनुरूप आपूर्ति नहीं होने पर प्रति शिकायत (प्रमाणित होने पर) रू0 500/– मात्र।
3. कार्यरत कर्मियों के कार्य अवधि में साफ–सफाई न रखने पर (दॉत, बाल, नाखून, वर्दी एवं सेविंग, पान गुटखा,सेवन इत्यादि के लिए) प्रत्येक मद में रू0 200/–मात्र।
4. बिना कूपन के सामान बिकी पर प्रति बार (प्रमाणित होने पर) रू0 500/– मात्र।
5. रसोई घर के अन्दर साफ–सफाई नहीं होने पर प्रति निरीक्षण रू0 500/–मात्र।
6. खाद्य सामग्रियों के खुली अवस्था में पाये जाने पर रू0 1500/– मात्र।
7. कीट–रोधी यंत्र चालू अवस्था में नहीं रहने पर रू0 500/–मात्र।
8. आपूर्ति किये गये सामान (जो गारण्टी/वारंटी अवधि में हैं) का मेंटेनेंस आपूर्तिकर्ता से नहीं कराने पर रू0 1000/–मात्र।
9. वाटर प्यूरीफायर चालू अवस्था में नहीं पाये जाने पर रू0 1000/–मात्र।
10. बासी/ कच्ची सब्जी/खराब भोजन/खाद्य पदार्थ पाये जाने पर रू0 1000/–मात्र।
11. व्यवसायिक रसोई गैस की जगह पर, घरेलू रसोई गैस के इस्तेमाल करते हुए पाये जाने पर रू0 1500/–मात्र।
12. रसोई गैस की जगह पर कोयला/लकड़ी इत्यादि का ईंधन के रूप में उपयोग किये जाने पर रू0 1500/–मात्र।
13. बिजली हीटर उपयोग करने पर रू0 1500/–मात्र।
14. आपूर्ति किये गये कुर्सी/टेबुल अथवा अन्य उपस्कर बर्तन आदि क्षतिग्रस्त होने पर निरीक्षण अधिकारी द्वारा तत्काल आकलित राशि एवं गुम होने पर वास्तविक मूल्य।

15. उपर्युक्त वर्णित के अतिरिक्त निरीक्षण अधिकारी द्वारा मौके पर आकलित अनुशासनहीनता अथवा अन्य क्षति के मामले में विवकानुसार आदेशित दण्ड।

आर्थिक दण्ड राशि दो कार्य दिवसों में जमा नहीं करने पर संचालक द्वारा जमा जमानत राशि से समायोजित कर ली जायेगी। जमानत राशि किसी भी अवस्था में निर्धारित राशि रू0 50,000/– (पचास हजार रूपये) से कम नहीं होगी। इसे दण्ड में समायोजन करने के लिए सप्ताह के अन्दर सुरक्षा राशि मानदंड के रूप में पूरा करना आवश्यक है, अन्यथा इसके लिए समिति में लिये गये निर्णय के अनुसार अतिरिक्त दण्ड से अधिरोपित किया जायेगा

कृते–वरीय मण्डल कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, धनबाद।

File No.ECR-DHN0PERS(SWI)/32/2020-O/o SR.DPO/DHN/ECR

# पूर्व मध्य रेल, धनबाद।

## स्टॉफ कैन्टीन में खाद्य सामग्रियों की प्रस्तावित मूल्य तालिका

| कम सं. | सामाग्री | प्रस्तावित दर |
|---|---|---|
| 1. | पूरी –5, जलेबी–2, सब्जी (300 ग्राम) | 10/– रू0 |
| 2. | खास्ता कचौड़ी ( प्रति पीस – 60 ग्राम) | 04/– रू0 |
| 3. | समोसा (प्रति पीस 60ग्राम) | 04/– रू0 |
| 4. | बुँदिया + सेव/नमकीन, मिक्सचर (प्रति प्लेट 50ग्राम) | 06/– रू0 |
| 5. | जलेबी (प्रति पीस 40 ग्राम) | 02/– रू0 |
| 6. | रसगुल्ला (प्रति पीस 40ग्राम) | 04/– रू0 |
| 7. | कालाजामुन (प्रति पीस 40ग्राम) | 04/– रू0 |
| 8 | चाय नींबू (80 मिली ग्राम) | 02/– रू0 |
| 9. | चाय (दूध 80 मिली ग्राम) | 04/– रू0 |
| 10. | कॉफी | 06/– रू0 |
| 11. | ईडली–सांभर (दो पीस 100 ग्राम) | 08/– रू0 |
| 12. | चाउमिन (भेज प्रति प्लेट) | 10/– रू0 |
| 13. | थाली – सादा खाना (प्रति प्लेट 400 ग्राम)<br>1. चावल 175 ग्राम, दाल (अरहर, मूंग, चना), सब्जी, भुजिया, पापड़ एवं सलाद<br>2. रोटी–3, हाफ प्लेट चावल, दाल, सब्जी, भुजिया, पापड़ एवं सलाद | 18/– रू0 |
| 14. | रोटी–5, दाल, सब्जी, भुजिया ,पापड़ एवं सलाद। | 18/– रू0 |
| 15. | स्लाईस ब्रेड (4पीस + बटर ) | 8/– रू0 |
| 16. | भेज चॉप | 5/– रू0 |
| 17. | बुँदिया लड्डू | 3/– रू0 |
| 18. | बेसन लड्डू | 3/– रू0 |
| 19. | ब्रेड पकौड़ा | 5/– रू0 |
| 20. | मिक्स भेज पकौड़ा | 5/– रू0 |
| 21. | स्पेशल थाली (चावल 175 ग्राम, दाल, दो सब्जी, पनीर, हरा सब्जी, भुजिया, पापड़, दही, रसगुल्ला, सलाद) | 35/– रू0 |
| 22. | रोटी प्रति पीस | 2/– रू0 |
| 23. | चावल मात्र (प्रति प्लेट) | 7/– रू0 |
| 24. | चावल मात्र (प्रति हॉफ प्लेट) | 5/– रू0 |
| 25. | दही (प्रति प्लेट 100 ग्राम) | 5/– रू0 |
| 26. | ब्रांडेड प्रोडक्ट (जैसे–आईसकीम, हल्दीराम प्रोडक्ट्स, ब्रेड, बटर, मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रींक्स, डेयरी प्रोडक्टस इत्यादि) | MRP |
| | कुल | 185/–रू0 |

नोटः– 1. भोजन के लिए कूपन वितरण 9.00 बजे से प्रारम्भ तथा 15.00 बजे तक भोजन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

2. गुणवत्ता, मात्रा एवं व्यवहार या कैंटीन से संबंधित कोई अन्य शिकायत हो तो नामित मुख्य कर्मचारी कल्याण निरीक्षक धनबाद को सूचित करें।

# पूर्व मध्य रेल, धनबाद।

## स्टॉफ कैन्टीन में खाद्य सामग्रियों की प्रस्तावित मूल्य तालिका

| क्रम सं. | सामाग्री | प्रस्तावित दर |
|---|---|---|
| 1 | पूरी –5. जलेबी–2. सब्जी (300 ग्राम) | |
| 2 | खास्ता कचौड़ी ( प्रति पीस – 60 ग्राम) | |
| 3 | समोसा (प्रति पीस 60ग्राम) | |
| 4 | बुँदिया + सेव / नमकीन, मिक्सचर (प्रति प्लेट 50ग्राम) | |
| 5 | जलेबी (प्रति पीस 40 ग्राम) | |
| 6 | रसगुल्ला (प्रति पीस 40ग्राम) | |
| 7 | कालाजामुन (प्रति पीस 40ग्राम) | |
| 8 | चाय नींबू (80 मिली ग्राम) | |
| 9 | चाय (दूध 80 मिली ग्राम) | |
| 10 | कॉफी | |
| 11 | ईडली–सांभर (दो पीस 100 ग्राम) | |
| 12 | चाउमिन (भेज प्रति प्लेट) | |
| 13 | थाली – सादा खाना (प्रति प्लेट 400 ग्राम)<br>3. चावल 175 ग्राम, दाल (अरहर, मूंग, चना), सब्जी, भुजिया, पापड़ एवं सलाद<br>4. रोटी–3, हाफ प्लेट चावल, दाल, सब्जी, भुजिया, पापड़ एवं सलाद | |
| 14 | रोटी–5, दाल, सब्जी, भुजिया ,पापड़ एवं सलाद। | |
| 15 | स्लाईस ब्रेड (4पीस + बटर ) | |
| 16 | भेज चॉप | |
| 17 | बुँदिया लड्डू | |
| 18 | बेसन लड्डू | |
| 19 | ब्रेड पकौड़ा | |
| 20 | मिक्स भेज पकौड़ा | |
| 21 | स्पेशल थाली (चावल 175 ग्राम, दाल, दो सब्जी, पनीर, हरा सब्जी, भुजिया, पापड़, दही, रसगुल्ला, सलाद) | |
| 22 | रोटी प्रति पीस | |
| 23 | चावल मात्र (प्रति प्लेट) | |
| 24 | चावल मात्र (प्रति हॉफ प्लेट) | |
| 25 | दही (प्रति प्लेट 100 ग्राम) | |
| 26 | ब्रांडेड प्रोडक्ट (जैसे–आईसक्रीम, हल्दीराम प्रोडक्ट्स, ब्रेड, बटर, मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रींक्स, डेयरी प्रोडक्टस इत्यादि) | |
| | कुल | |

नोटः– 1. भोजन के लिए कूपन वितरण 9.00 बजे से प्रारम्भ तथा 15.00 बजे तक भोजन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

2. गुणवत्ता, मात्रा एवं व्यवहार या कैंटीन से संबंधित कोई अन्य शिकायत हो तो नामित मुख्य कर्मचारी कल्याण निरीक्षक धनबाद को सूचित करें।

Digitally signed by TRILOK NATH VERMA
Date:Wed Aug 19 21:21:59 IST 2020
Reason: Approved